न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
109/2013	25.04.2013	29.08.2024

1. विद्याबाई पत्नी श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. संजूबाई पुत्री श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3. नन्द लाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा ,
4. पंकज पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5. धर्मेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. मोहनलाल पुत्र श्री भैरवानन्द जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3. चन्द्रकान्ता पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा
4. हनुमान शर्मा दत्तक पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी बम्बूलिया खुर्द तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5. व्यवस्थापक मन्दिर मूर्ति श्रीनाथ जी महाराज विराजमान नाथद्वारा जिला उदयपुर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना.पत्र अन्तगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण निम्न आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के दादा व ससुर श्री पूरणम्ल व उनके भाई रामक कल्याण प्रभूलाल बजरंगलाल पिता गोविन्दलाल कौम ब्राहम्ण साकिन देह के संयुक्त खाते में खसरा नम्बर 30 रकबा 31 बीघा कृषि भूमि वाके ग्राम बम्बुलिया कलॉं तहसील पीपल्दा में स्थित थी, प्रार्थीगण के दादा श्री पूरणमल के स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर प्रार्थीगण के पिता व पति रामेश्वर का नाम खाते में दर्ज हुआ था तथा आपसी सहमति से विभाजन के तहत खसरा नम्बर 301 रकबा 12 बीघा भूमि रामेश्वर पुत्र पुरणमल जाति ब्राहमण के खाते दर्ज हुई थी जिसका अंकन जमाबन्दी ग्राम बम्बूलिया कलॉं तहसील पीपल्दा संवत 2031 से 2034 दर्ज है यह कि उक्त कृषि भूमि में केचमेंट ऑपरेशन हुआ तथा बाद कैचमेंट ऑपरेशन कैचमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 301 रकबा 12 बीघा के स्थान पर नये खसरा नम्बर 489 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम बम्बूलिया कलॉं में कायम करके कब्जा प्रार्थीगण के पिता व पति श्री रामेश्वर

को दिया गया था, जिस पर रामेश्वर जी काबिज काश्त थे, तथा उनके जीवनकाल से ही प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि सेंटलमेंट विभाग द्वारा बाद सेंटलमेंट ऑपरेशन उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 508 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम बम्बूलिया कला में दर्ज किये गये । इस प्रकार सैटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुये, प्रार्थीगण के पति व पिता श्री रामेश्वर के खाते में 0.55 हेक्टर रकबा कम दर्ज किया है, गत रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा के अनुसार प्रार्थीगण के पिता व पति श्री रामेश्वर के खाते में रकबा 1.82 हेक्टर दर्ज होना चाहिये था, किन्तु सेंटलमेंट विभाग ने बिना किसी अधिकारिता के प्रार्थीगण के पिता व पति रामेश्वर के खाते में रकबा कम दर्ज किया है, तथा नक्शा भी छोटा बनाया हैं, जो कि काबिल दुरस्तनीय है।

यह कि प्रार्थीगण के पिता व पति श्री रामेशवर का स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थी गण अपने पिता व पति श्री रामेश्वर के जीवनकाल से हीं कैचमेंट विभाग द्वारा काटे गये नक्शे व रकबे के अनुसार फूल रकबा 1.82 हेक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, किन्तु सेंटलमेंट विभाग ने प्रार्थीगण का रकबा कम दर्ज किया हैं, तथा नक्शा भी छोटा बनाया है। यह कि सैंटलमेंट विभाग को प्राथीगण के पिता व पति श्री रामेश्वर जी के खाते में रकबा कम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था, सेंटलमेंट विभाग ने जानबूझकर त्रुटिपूर्ण अंकन किया है जो कि काबिल दुरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र स्वीकार कर वाके ग्राम बम्बूलिया कला में स्थित खसरा नम्बर 508 रकबा 1. 27 हेक्टर में दुरस्ती कर रकबा 1.82 है0 दर्ज किया जावे तथा रकबे के अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरस्ती की जावे तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश अप्रार्थी तहसीलदार पीपल्दा के नाम जारी फरमाने की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई दिनांक 1.02.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की और से प्रार्थना पत्र में पक्षकारान बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं 151 सीपीसी का पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान में नियत की गई वकील प्रार्थी संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजि0 एडी0 करवायी गई अप्रार्थीक्रम 05 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया की ग्राम बम्बूलिया कलॉ में स्थित खसरा नंबर 508 रकबा 1.27 है0 भूमि स्थित है मौके पर कब्जे के अनुसार तथा पुराने नक्शे व रेकार्ड के अनुसार रकबा पूर्ण होता हो तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है नियमानुसार रेकार्ड संशोधित करने व दुरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं है जो शामिल पत्रावली है शेष अप्रार्थीगण जरिये रजि0 एडी0 करवाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 11.06.2024 को अप्रार्थीक्रम 2 ता 4 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया की जमाबन्दी ग्राम बम्बूलिया कला सम्वत् 2031–34 के अनुसार प्रार्थया के पति रामेशवर के नाम साकिन खसरा नंबर 301 रकबा 12 बीघा भूमि दर्ज थी। उक्त आराजी भूमि में सन् 1981–82 में हुए कैचमेंट ऑपरेषन के बाद नवीन कैचमेंट में खसरा नंबर 489 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि कमी की गई। उसी दौरान तहसील क्षेत्र में सेटलमेंट प्रकिया विचाराधीन थी। सेटलमेंट विभाग द्वारा उस कैचमेंट के खसरा नंबर है नवीन खसरा नंबर 508 रकबा 1.27 है0 दर्ज कर प्रकिया में गत रकबे 1.82 है0 की तुलना में 0.55 है0 की कमी कर दी गई है जिसका विववरण निम्न हैः–

गत सैटलमेंट का खसरा नंबर एवं रकबा	कैचमेंट बाद दर्ज खसरा नंबर	II सैटलमेंट दर्ज खसरा नंबर रकबा	विशेष विवरण
301 / 12 बीघा	489 / 11 बीघा 8 बिस्वा	508 / 1.27 है0	कमी 0.55 है0

राजस्व रिकार्ड एवं मौका अनुसार प्रार्थीया की आराजी का कमी रकबा समीपवर्ती काश्तकार के रकबे में से कर दिया गया है। जबकि प्रार्थिया मौके पर पूर्वानुसार 1.82 है0 पर ही काबिज काश्त है। वर्तमान राजस्व नक्शा भी छोटा बनाया गया है। जो संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

राजस्व रिकार्ड एवं मौका का मिलान करने पर पाया गया है। सीमावर्ती खसरा नंबर 524 / 0.25, 507 / 2.10 एवं 510 / 1.28 में रकबा बढ़ा हुआ पाया गया है। उक्त बढ़े हुए रकबे से प्रार्थीयां के कमी खाते की पूर्ति संबंधित खातेदारान की सुनवाई के बाद की जा सकती है। जो निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	गत सेटलमेंट रकबा	कैचमेंट रकबा	सेटलमेंट बाद खसरा नंबर / रकबा	बेसी रकबा
मोटालाल ब्राह्मण	302 / 13 बीघा 5 बिस्वा	478 / 9–2 बीघा 506 / 3–10 बीघा	506 / 1.36 है0 524 / 0.85 है0	+ 0.20 है0
बजरंगलाल ब्राह्मण	301 / 13 बीघा	488 / 12–7 बीघा	507 / 2.10 है0	+ 0.12 है0
मन्दिर मूर्ति श्रीनाथजी	314 / 17–13 बीघा	507 / 10–05 491 / 6–10	527 / 1.79 है0 510 / 1.28 है0	+ 0.38 है0

उपरोक्त विवरण के स्पष्ट है कि प्रार्थिया की ग्राम बम्बूलिया की आराजी कैचमेंट रकबों की पूर्ति की जा सकती है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के खाते में 0.55 है0 की कमी होना जाहिर होती है जिसकी पूर्ति किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम बम्बूलियाँ कलाँ की कृषि भूमि खसरा नम्बर 508 रकबा 1.27 है0 मे हुई 0.55हैक्टर कमी रकबे की पूर्ति, खसरा नंबर 524 रकबा 0.85 है में से बेशी रकबा 0.20 है, खसरा नंबर 507 रकबा 2.10 है में से बेशी रकबा 0.12 है0 एवं 510 रकबा 1.28 है0 में से बेशी 0.23 है0 रकबा कुल रकबा 0.55हेक्टर से की जाकर प्रार्थिया के खाते की आराजी खसरा नंबर 508 का रकबा 1..27 के स्थान पर 1.82 हेक्टर दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत तहसील रिपोर्ट दिनांक 06.03.2019 के अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा